

पत्र संख्या-वनभूमि-10/2017 **3413**

व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- **11/08/17**

विषय :- गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत A.D.B. सम्पोषित पचम्मा-जमुआ-श्रवण-चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 3.520 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-316 दिनांक-24.04.2017, पत्रांक-373 दिनांक-18.05.2017 एवं पत्रांक-595 दिनांक-19.07.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में गिरिडीह पूर्वी एवं गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल अंतर्गत A.D.B. सम्पोषित पचम्मा-जमुआ-श्रवण-चतरो पथ निर्माण हेतु कुल 3.520 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-09/98-FC दिनांक-25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक-28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.520 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।
- (3) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।
- (4) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।
- (5) प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथा संभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 161 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (6) पथ निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, पथ के किनारे वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (7) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (8) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।
- (9) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

OK

- (10) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।
- (11) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।
- (12) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तों के अनुपालन हेतु के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2017 3413

व0प0, राँची दिनांक- 11/08/17

प्रतिलिपि-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को मूल प्रस्ताव तथा प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2017 3413

व0प0, राँची दिनांक- 11/08/17

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वनभूमि-10/2017 3413

व0प0, राँची दिनांक- 11/08/17

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल गिरिडीह/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह (पूर्वी) वन प्रमण्डल/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह (पश्चिमी) वन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह-815301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव